न्यायालय :– जिला न्यायाधीश, लटेरी, जिला विदिशा म.प्र.
(समक्षः– विनोद कुमार शर्मा)

Registration No-RCS HM-11/2022
Filing No-64/2022
CNR No-MP4007000819/2022
Filing Date-29-10-2022

निशांत जैन पुत्र स्व. आदर्श कुमार जैन, आयु 35 वर्ष,
निवासी– मकान नं. 109 मिलेनियम गार्डन पीर मुसल्ला,
जीरकपुर, पंजाब।

———————— **याचिकाकर्ता / आवेदक**

/ / विरूद्ध / /

रितिका जैन पत्नी निशांत जैन पुत्री सत्येन्द्र कुमार जैन, आयु 30 वर्ष,
निवासी– मकान नं. 109 मिलेनियम गार्डन पीर मुसल्ला,
जीरकपुर, पंजाब।
हाल निवासी– वार्ड क्रमांक 03 नयापुरा लटेरी, जिला विदिशा म.प्र.।

———————— **प्रत्यर्थी / अनावेदिका**

आवेदक द्वारा :– श्री पियूष चौरसिया, अधिवक्ता।
अनावेदिका द्वारा :– श्री एम.ए. खांन, अधिवक्ता।

:::– निर्णय_–:::
(आज दिनांक 01.03.2024 को घोषित)

1. आवेदक की ओर से अनावेदिका के विरूद्ध हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 (जिसे अत्र पश्चात् अधिनियम कहा जावेगा) की धारा–13 के अंतर्गत, दिनांक 27.02.2016 को आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य अनुष्ठापित विवाह को विच्छेदित किए जाने की डिक्री प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अनावेदिका द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर विवाह विच्छेदन की डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया है।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदक एवं अनावेदिका का विवाह दिनांक 27.02.2016 को रिट्रीट गार्डन, जीरकपुर, एस.ए.एस. नगर(मोहाली) में हिन्दु रीति–रिवाज अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह के पूर्व आवेदक मकान नं. 226, सेक्टर 18, पंचकुला में निवासरत था तथा अनावेदिका वार्ड क्रमांक 03, नयापुरा लटेरी, जिला विदिशा म.प्र. में निवासरत थी। याचिका प्रस्तुति के समय आवेदक मकान नं. 109 मिलेनियम गार्डन पीर मुसल्ला, जीरकपुर, पंजाब में निवासरत है, जबकि अनावेदिका पूर्व पते पर ही निवासरत है।

विवाह के पश्चात आवेदक एवं अनावेदिका मकान नं. 109 मिलेनियम गार्डन पीर मुसल्ला, जीरकपुर, पंजाब में पति–पत्नी के रूप में निवासरत रहे, जिनके संसर्ग से कोई संतान का जन्म नहीं हुआ।

3. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय हैं कि आवेदक द्वारा याचिका जिला न्यायाधीश, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसके पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय के ट्रांर्सफर पिटीशन क्रमांक 2134/2021 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2022 के पालन में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एसएएस नगर मोहाली के पत्र क्रमांक 264/2022 द्वारा याचिका इस न्यायालय को निराकरण हेतु प्राप्त हुई।

4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक का अनावेदिका के साथ विवाह होने के पश्चात उसके द्वारा अनावेदिका के साथ अच्छा व्यवहार किया गया तथा अनावेदिका या उसके परिजनों से कोई दहेज आदि की मांग नहीं की गई एवं आवेदक व उसके परिजन दहेज प्रथा के खिलाफ हैं, इस कारण अनावेदिका व उसके परिजनों से विवाह के समय कुछ उपहारों के आदान–प्रदान के अलावा दहेज के रूप में कोई सामग्री प्राप्त नहीं की गई। विवाह के पश्चात आवेदक व उसके परिजनों द्वारा अनावेदिका को सभी सुविधायें दी गईं, किंतु अनावेदिका एक झगड़ालू प्रवृत्ति की महिला होने से उसके द्वारा अनावश्यक रूप से आवेदक एवं उसके परिजनों के साथ लड़ाई झगड़ा किया जाने लगा तथा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता था। अनावेदिका का व्यवहार आवेदक व उसके परिजनों के प्रति सदैव से क्रूरतापूर्ण रहा है। अनावेदिका, आवेदक पर दवाब बनाती थी कि वह उसके वृद्ध माता–पिता से पृथक निवास करे तथा उनसे कोई बात न करे। अनावेदिका द्वारा आवेदक व उसके परिजनों का आदर नहीं किया जाता था तथा भोजन आदि भी नहीं दिया जाता था। अनावेदिका द्वारा आवेदक व उसके परिजनों की बेइज्जती करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती थी। इस कारण आवेदक मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। अनावेदिका अपनी ससुराल से चली गई एवं 02–03 माह पश्चात वापस आई। आवेदक द्वारा कारण पूछे जाने पर अनावेदिका द्वारा उसके साथ गाली–गलौंच की गई एवं कहा गया कि वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेगी। इस प्रकार अनावेदिका का व्यवहार असाधारण एवं क्रूरतापूर्ण रहा।

5. आवेदन में आगे अभिवचन किए गए हैं कि अनावेदिका को कभी भी गृहकार्यों में रूचि नहीं रखी गई। अनावेदिका द्वारा हमेशा ही आवेदक एवं उसके परिवार में कलह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। अनावेदिका द्वारा आवेदक की उसके रिश्तेदारों व मित्रों के समक्ष हमेशा ही बेइज्जती की जाती थी। अनावेदिका कहती थी कि यदि उसके व्यक्तिगत जीवन में दखल दिया तो वह आत्महत्या कर लेगी या दहेज के प्रकरण में पूरे परिवार को

जेल भिजवा देगी। अनावेदिका के उक्त व्यवहार के कारण आवेदक के पिता की मई 2018 में मृत्यु हो गई। आवेदक द्वारा वैवाहिक जीवन को बचाने के पर्याप्त प्रयास किए गए, किंतु अनावेदिका के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। दिनांक 12.09.2018 को तीज के दिन अनावेदिका द्वारा आवेदक व उसकी मां के साथ झगड़ा किया गया एवं थप्पड़ मारा गया। जबकि वह एक उम्रदराज महिला हैं एवं अपने पति को खो चुकी हैं। अनावेदिका द्वारा उनके बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया एवं दांत तोड़ दिए तथा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उक्त घटना के पश्चात आवेदक की मां दिल्ली में इस उद्देश्य से निवास करने लगीं कि आवेदक व अनावेदिका के मध्य अच्छे संबंध स्थापित हो जायेंगे, किंतु अनावेदिका के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया एवं दिनांक 04.01.2019 को आवेदक के साथ लड़ाई–झगड़ा करके अनावेदिका अपनी ससुराल से आ गई। अनावेदिका के व्यवहार के कारण आवेदक का जीवन अंधकारमय हो गया है। अतः उक्त आधारों पर याचिका स्वीकार की जाकर विवाह विच्छेद की जयपत्र प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है।

6. अनावेदिका की ओर से जबाव प्रस्तुत करते हुये स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष तथ्यों को अस्वीकार किया गया तथा प्रतिदावा प्रस्तुत करते हुए प्रकट किया कि शादी के समय आवेदक के पिता जयपुर में रहते थे, उनकी दो पुत्रियां सुरभि और शिल्पा दिल्ली में रहती थीं, उनका ही पूरे परिवार में हस्तक्षेप था। आवेदक व उसकी मां के संबंध में पिता से अच्छे न होने के कारण वह मोहाली चंडीगढ़ में रहती थी। आवेदक व अनावेदिका का विवाह होने के 04–06 माह पश्चात ही आवेदक एवं उसकी मां, बहनों द्वारा दहेज के सामान में कमी निकालना प्रारंभ कर दिया तथा आवेदिका को ताने मारने लगे। अनावेदिका की सास एवं ननदें सोने के जेवर भेंट करने का कहने लगीं। अनावेदिका द्वारा उसके पिता के निर्धन होने से उनकी मांगे पूरी न करने के संबंध में कहे जाने पर गाली–गलौंच की जाती थी। उक्त संबंध में आवेदक से कहे जाने पर वह कहता था कि उसकी मां एवं बहनों की बात मानने पर ही वह रह सकती है, अन्यथा घर से निकाल देंगे। अनावेदिका का मायके पक्ष का परिवार जैन धर्म को मानते हुए शराब आदि व्यसनों से दूर रहते हैं, किंतु विवाह के समय आवेदक के शराब, सिगरेट आदि पीने की बातें छुपाई गईं। विवाह के 05–06 माह बाद आवेदक अक्सर नशे में अनावेदिका के साथ दुर्व्यवहार करता था और उसकी मां व बहनों को सोने के जेवर भेंट करने का कहता था, मना करने पर गाली–गलौंच व मारपीट करता था। अनावेदिका उक्त व्यवहार सहन करती रही।

7. प्रतिदावा में आगे यह भी अभिवचन किए हैं कि जनवरी 2018 में अनावेदिका के पैतृक गांव मुरारिया में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में आवेदक एवं उसके परिवार वालों को आमंत्रित किया गया, किंतु उनके आने

हेतु इच्छुक न होने पर अनावेदिका अकेली आई तो उसके पूरे जेवरात व मंगलसूत्र उतारकर रख लिया। अनावेदिका द्वारा समाज व रिश्तेदारों की टीका–टिप्पणी से बचने हेतु मां के गहने पहनकर फेसबुक पर पोस्ट डाली गई तो अनावेदिका की सास एवं ननदों द्वारा अभद्र टिप्पणियां की गईं। धार्मिक कार्यक्रम के पश्चात अनावेदिका दिनांक 31.01.2018 को चंडीगढ़ गई और उसकी पोस्ट पर की गई टिप्पणियों के संबंध में आवेदक को बताया तो उसके द्वारा अनावेदिका को चरित्रहीन कहा गया। फरवरी 2018 में अनावेदिका को घर की सामग्री का उपयोग करने से रोक दिया एवं अनावेदिका के भाई से कहा गया कि अपनी बहन को सामान लाकर दे जाओ, तब अनावेदिका के भाई के आने पर आवेदक व उसके परिवार वालों ने उसे भी डांटकर भगा दिया। 08–15 दिन के अंतराल में अनावेदिका की ननदें दिल्ली से मोहाली आ जाती थी और अनावेदिका के साथ गाली–गलौंच करती थीं। अगस्त 2018 में आवेदक द्वारा अनावेदिका के साथ लटेरी आकर भाई एवं पिता से मिलेनियम अपार्टमेंट में फ्लेट खरीदने हेतु 20 लाख रूपए की मांग किए जाने पर अनावेदिका के पिता द्वारा सामर्थ्य अनुसार व्यवस्था करने का कहा गया, तो आवेदक, अनावेदिका को साथ लेकर चंडीगढ़ चला गया। उसके पश्चात फोन से राशि की मांग की गई, जिसे पूरा न किए जाने पर आवेदक, उसकी मां व बहनों द्वारा अनावेदिका के साथ मारपीट की गई व दो दिन कमरे में बंद रखकर कोई खाना–पीना नहीं दिया गया। अनावेदिका के भाई को सूचना मिलने पर वह आया तो उसे भी डरा धमकाकर भगा दिया।

8. अनावेदिका वैवाहिक जीवन बचाने हेतु सब कुछ सहन करती रही, किंतु आवेदक द्वारा विवाह विच्छेद बावत् प्रस्तुत याचिका के संबंध में समन प्राप्त होने पर अनावेदिका के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो उसके द्वारा थाना लटेरी में दहेज प्रताड़ना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कराया, जो जे.एम.एफ.सी. न्यायालय लटेरी में गतिशील है। अनावेदिका की ओर से भरण–पोषण बावत् धारा 125 द.प्र.सं. का प्रकरण जे.एम.एफ.सी. न्यायालय लटेरी में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आदेशानुसार राशि का भुगतान आवेदक द्वारा नहीं किया जा रहा है। अनावेदिका व आवेदक वर्ष 2019 से पृथक–पृथक निवासरत हैं। अनावेदिका का आवेदक के साथ रहना संभव नहीं है। अतः प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य अनुष्ठापित विवाह को विच्छेदित किए जाने का निवेदन किया गया है।

9. आवेदक द्वारा अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया है कि अनावेदिका के अभिवचनों के आधार पर याचिका स्वीकार न की जाकर आवेदक की याचिका के अभिवचनों के आधार पर याचिका स्वीकार की जाकर उभयपक्ष को विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की जावे।

10. उपरोक्तानुसार आवेदक व अनावेदिका द्वारा क्रमशः दावा एवं प्रतिदावा में यद्यपि एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप किए गए हैं, किंतु दोनों द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है। उनके अभिवचनों दर्शित है कि उनके मध्य अनुष्ठापित विवाह को विच्छेदित किए जाने में उभयपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार जहां उभयपक्ष के विवाह विच्छेद संबंधी सहायता को स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, वहां आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के अंतर्गत न्यायालय द्वारा स्वीकृति पर निर्णय घोषित किया जा सकता है।

11. उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के विवाह विच्छेद संबंधी सहायता स्वीकार करने के संबंध में आपत्ति न होने से उभयपक्ष को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रही कि उभयपक्ष द्वारा एक–दूसरे के साथ निरंतर क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया है तथा वह निरंतर दो वर्ष की अवधि से अभित्यक्त होकर पृथक–पृथक निवासरत हैं। अतः एक समान सहायता प्रार्थित होने से विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति पारित किया जाना उचित है।

12. उपरोक्तानुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका एवं अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञप्ति निर्मित की जावे :–

1. आवेदक निशांत जैन एवं अनावेदिका रितिका जैन के मध्य अनुष्ठापित विवाह दिनांक 27.02.2016 विच्छेदित किया जाता है।
2. उभयपक्ष अपना–अपना याचिका व्यय वहन करेंगें।
3. उभयपक्ष के लिये अधिवक्ता शुल्क 1,000–1000/–रूपये नियत की जाती है।
4. उभय पक्ष को निर्णय की प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

विनोद कुमार शर्मा
जिला न्यायाधीश
लटेरी, जिला विदिशा म.प्र.

विनोद कुमार शर्मा
जिला न्यायाधीश
लटेरी, जिला विदिशा म.प्र.

VINOD KUMAR SHARMA
Digitally signed by VINOD KUMAR SHARMA
Date: 2024.03.01 16:47:36 +0530